Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 16, Issue No. 4, March-2019, ISSN 2230-7540

महिला विकास की योजनाएं: समकालीन समस्याएं एवं समाधान

Sonu[1]* Prof. Vishnu Bhagwan[2]

[1] Research Scholar, Department of Public Administration, Chaudhary Devi Lal University, Sirsa, Haryana

[2] Head of Department, Public Administration Department, Chaudhari Devi Lal University, Sirsa

सार – *नारी को भारतीय समाज में उचित सम्मान दिया जाता है। परन्तु यह पूर्णतया सत्य नहीं है। क्योंकि समाज में भिन्न-2 प्रकार की सोच एव विचारधारा वाले लोग रहते है। कुछ लोग महिलाओं को पुरुषों से कमजोर मानते है। ये महिलाओं को निम्न दृष्टि से देखते है नारी सशक्तिकरण और नारी अधिकार का मुद्दा प्राचीन काल से ही समाज का मुख्य मुद्दा रहा है और वर्तमान समय में भी नारी अधिकारवाद और नारी सशक्तिकरण का मुद्दा ज्वलंत हैं।1*

----------X----------

महिला सशक्तिकरण

महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को उसकी क्षमता, स्वतंत्रता एवं मुक्ति का बोध कराते हुए इतना सशक्त बना देना कि वे व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनो स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार बन सके।2 वास्तव में महिला सशक्तिकरण न केवल भारत बल्कि विश्वभर में राजनीति के साथ-2

सामाजिक व प्रशसनिक मुद्दा भी बना हुआ है। जिसका सूत्रपात संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरूआत से हुआ है।

महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति

महिला सशक्तिकरण आधुनिक विश्व की महत्वपूर्ण समस्या है। आज दुनिया का कोई भी ऐसा देश नही है जहाँ महिलाओं के अधिकारों उनके सम्मान तथा उनकी अस्मिता को बचाये रखने की चर्चा न की जा रही हो। यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व की आधी आबादी में महिलायें है।3

नारी मानव समाज का अभिन्न एवं महत्वपूर्ण अंग है। मानव जाति की सभ्यता तथा उसके विकास में नारियों की अहम भूमिका रही है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों का स्थान महत्वपूर्ण रहा है जब हम स्त्री विर्मश की बात करते है तो उसका सीधा अर्थ सामाजिक विकास का आकलन स्त्री शिक्षा, उसका आर्थिक स्वालबन और उसके निर्णय लेने की क्षमता से किया जा सकता।

परन्तु आजादी के 70 वर्ष के बाद हम पाते है कि समतामूलक समाज बनाने में भारत की प्रगति धीमी और निराशजनक है। महिलाओं के प्रति भेदभाव आज भी फलफूल रहा है। वर्तमान समय में शिक्षा रोजगार के अवसर और सोशल नेटवर्क ने जहाँ कुछ महिलाओं को मुर्खता प्रदान की वही अब भी बहुत सी महिलाएं परिवार, परम्परा, धर्म और संस्कृति के नाम पर अन्याय सहन कर रही है।4

इक्कीसवीं सदी का पहला व महिला सशक्तिकरण के रूप में महिलाओं की क्षमता विकास करके उन्हें अधिक सशक्त बनाने तथा समग्र समाज को महिलाओं में अपनी स्थिति और भूमिका के बारे में जागरूकता लाने के प्रयास किए गए। परन्तु ये सभी प्रयास प्रमुख रूप से महानगरों और शहरों तक ही सीमित है। गाँवों तक इन कार्यो की कुछ खबरें तो अखबारों तथा जनसचांर - माध्यमों के जरिये पहुंचती है, लेकिन जमीनी स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र इन उपायों के प्रभाव से लगभग अछुते ही रहते है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि अधिकांश ग्रामीण महिलाए सम्भावनाओं और क्षमताओं से युक्त

www.ignited.in

होने के बावजूद सशक्तिकरण या अधिकार चेतना से वंचित रहती है। सशक्तिकरण के बुनियादी मानदण्डों के आधार पर ग्रामीण महिलाओं की स्थिति, योगदान और आगे बढने की सम्भावनाओं का मूल्यांकन किया जाए तो स्पष्ट पता चलता है कि भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अब भी उपेक्षा का शिकार है। उन्हें भी सशक्त बनाना राष्ट्र की अनिवार्य आवश्यकता है।5

ग्रामीण समाज में औरतें आज भी परिवार और समाज के शोषण शिकार है। लड़कियों का जन्म गांव में आज भी अषुभ माना जाता है। कुछ समुदायों में तो पैदा होते ही लड़की को मार दिया जाता है।6 वर्तमान समय की स्थिति को देखते हुए, भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजनाए एंवम् कार्यक्रम चलाएं गए है जो निम्न प्रकार से हैः-

- लाडली।7
- स्वयंसिद्धा।8
- हरियाणा कन्या कोष।9
- दहेज निषेध कार्यक्रम।10
- सुरक्षित भविष्य योजना11
- बालिका समृद्धि योजना।12
- सर्वोत्तम माता पुरस्कार।13
- किषोरी शक्ति योजना ।14
- बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं।15
- आपकी बेटी हमारी बेटी ।16
- कामकाजी महिला छात्रावास।17
- सुकन्या समृद्धि खाता योजना।18
- आंगनवाड़ी कार्यकत्र्री बीमा योजना।19
- इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना।20
- समेकित बाल विकास सेवाएं योजना।21
- स्वर्ण जयन्ती महिला पुरस्कार योजना।22
- महिलाओं को राज्य स्तरीय पुरस्कार।23
- विधवा एवं निराश्रित गृह महिला आश्रम।24
- ग्रामीण किशोरी बालिकाओं को पुरस्कार।25
- महिलाओं के लिए खेल-कूद प्रतियोगिता।26
- लाडली-सामाजिक सुरक्षा पैंशन स्कीम।27
- घेरलू हिंसा के विरूद्ध महिला सुरक्षा अधिनियम।28
- महिलाओं के लिये "वन स्टॉप केन्द्र" की स्थापना।29
- महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र योजना।30
- तेजाब से पीड़ित महिलाओं के लिए राहत तथा पुर्नवास योजना।31
- सबला किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना।32

समस्याएं एवं समाधान-

- ▶ सरकार द्वारा कम शिक्षित लोगों को जागरूक करने के लिए टी.वी., रेडियों के प्रसारण, चर्चा एवं परिचर्चा, समाचार पत्रों, पत्र पत्रिकाओं सम्पादकीय समन्वय पत्रों, रिसर्च जनरल, संगोष्ठी, सेमीनार आदि के माध्यम से जागरूक किया जाना चाहिएं। जिसके कारण लोगों तक जानकारी समय पर पहुंच सके।
- ▶ जिन लोगो को योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में जानकारी नही है तो कर्मचारियों का यह कत्र्तव्य है कि उन्हें यह जानकारी लोगों तक पहुंचानी चाहिए।
- ▶ योजनाओं के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाना चाहिए।
- ▶ योजनाओं को सशक्त बनाने के लिए औपचारिकताओं को कम करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग योजनाओं का लाभ उठा सके।

www.ignited.in

Sonu[1]* Prof. Vishnu Bhagwan[2]

- योजनाओं एवं कार्यक्रमों को सशक्त बनाने के लिए गांव एवं शहर कि गलियों में नुक्कड़ सभाओं का आयोजन करना चाहिए ताकि लोग जागरूक हो सके।
- आम जनता, एवं कर्मचारियों, अधिकारियों के मध्य समन्वय होना चाहिए।
- योजनाओं द्वारा प्राप्त प्रोत्साहन राशि समय पर दी जानी चाहिए। महिलाओं को अपने अधिकारों व कत्तव्यों का ज्ञान करवाना चाहिए ताकि वे अपने खिलाफ हो रहे अन्याय तथा अत्याचारों के विरूद्ध लड़ सके। ताकि महिलाएं अपने आप को पुरूषों के समान समझे तथा समाज के उत्थान में योगदान दे सके।
- गरीब माता-पिता आर्थिक अनुदान कि राशि को लड़की की शिक्षा, एवं स्वास्थ्य पर खर्च नहीं करना चाहते। जब तक माता-पिता का अपनी बेटियों के प्रति मानसिकता में बदलाव नहीं आता और बालिकाओं को पराया धन या जिम्मेदारी समझना बन्द नहीं कर देते तब तक लिंगानुपात में कमी नहीं आ सकती।
- लड़कियों के जन्म के प्रति नकारात्मक सोच को खत्म करना चाहिए।
- आंगनवाड़ी केन्द्रों की भूमिका को और अधिक बढ़ाया जाना चाहिए जिससें आंगनवाड़ी केन्द्र अधिक से अधिक योगदान दे सकें।
- सरकारी स्तर पर महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं लागू की गई है लेकिन उनकी जानकारी ग्रामीण महिलाओं को सही रूप न मिलने के कारण वे नतीजे नही मिल पाते जिसकी हम आशा करते है।
- सरकार के द्वारा विज्ञापनों के माध्यमों से उन महिलाओं को सम्मानित किया जाना चाहिए जिन्होनें महिला सशक्तिकरण, कन्या भ्रूण हत्या, बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं इत्यादि योजनाओं में महत्वपूर्ण योगदान देकर सशक्त समाज की स्थापना की है।
- अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लोकतंत्र की भावना को समझते हुए नौकरशाही वाला व्यवहार बदलकर मानवीय मूल्यों कों अपनाना चाहिए व बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के साथ सम्मान व्यवहार करना चाहिए। ताकि वे सरकार के द्वारा चलाई जा रही महिलाओं से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त कर सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. कुमार मनीष (2008), "महिला सशक्तिकरणः दशा और दिशा" मधुर बुक्स प्रकाशन, पृ0. स0. 7-9
2. भोजवानी सुनीता (2008), "भारत में महिला सशक्तिकरण" कम्पीटिशन सक्सेस रिव्यु, पृ0.स0. 59
3. सेतिया सुभाष (2008), "स्त्री सुस्मीता के प्रश्न" प्रकाशन कल्याणी शिक्षा परिषद नई दिल्ली, पृ. स. 169
4. वही पृ. स. 64
5. वही पृ. स. 65
6. चौधरी एम.पी. (2011), "महिलाएं सामाजिक अधिकार," प्रकाशक ठाकुर एण्ड सन्स, दिल्ली पृ. स.131-32
7. महिला एवं बाल विकास विभाग (2014-15), "लाडलीं" सैक्टर 4 पंचकुला, पृ. स. 1-5
8. सारस्वत ऋतु (अक्तूबर 2006), "महिला अधिकारिताः एक विश्लेषण" योजना पृ. स. 41
9. गौतम मोनिका (2008), "अनावरण कथा महिला सशक्तिकरण" हरियाणा संवाद, मार्च 2018, पृ.स. 7
10. महिला एवं बाल विकास विभाग (2014), "महिला एवं बाल विकास की योजनाएं" प्रचार पुस्तिका सैक्टर 4 पंचकुला पृ. स. 1-5

www.ignited.in

11. वार्षिक प्रशासनिक रिर्पोट (2016-17), "महिला एवं बाल विकास विभाग" हरियाणा सरकार पृ. स. 8

12. महिला सशक्तिकरण के लिए पहल, करूक्षेत्र, सितम्बर 2018, पृ.स. 61

13. सर्वोतम माता गौतम मोनिका (2018), "आवरण कथा महिला शकितकरण" हरियाणा सवांद पृ. स. 10

14. महिला एवं बाल विकास विभाग (2016), ''महिला एवं बाल विकास की योजनाएं'', प्रचार पुस्तिका, सैक्टर 34-ए चण्ड़ीगढ़

15. बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं (2015), "वुमन एण्ड चाईल्ड डैवल्पमैन्ट डिपार्टमैन्ट हरियाणा,"सैक्टर-4 पंचकुला पृ0. स0. 1-5

16. महिला एवं बाल विकास विभाग (2015), "आपकी बेटी हमारी बेटीं" भारतीय जीवन बीमा निगम व समूह योजना विभाग जीवन प्रकाशन सैक्टर 17-बी चण्डीगढ़ पृ. स. 1

17. वार्षिक प्रशासनिक रिर्पोट (2012-13) महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा सरकार पृ. स. 15

18. यादव पद्मा, ठाकुर स्वाती (2017), "विकास योजनाओं के केन्द्र में महिलाएं" कुरूक्षेत्र, पृ. स. 40

19. वार्षिक प्रशासनिक रिर्पोट (2016-17), "महिला एवं बाल विकास विभाग" हरियाणा सरकार पृ. स. 8

20. चौरसिया धंजी, (2011), "रोजगार और स्वास्थ्य रक्षा से सशक्त हुई महिलाएं" कुरूक्षेत्र पृ. स. 18

21. वार्षिक प्रशासनिक रिर्पोट (2016-17), "महिला एवं बाल विकास विभाग" हरियाणा सरकार पृ. स. 5-6

22. वहीं पृ. स. 21

23. महिला एवं बाल विकास विभाग (2018), "महिला एवं बाल विकास की योजनाएं" प्रचार पुस्तिका सैक्टर 34-ए पंचकुला पृ. स. 5

24. वार्षिक रिर्पोट (2012-13), "महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा सरकार, पृ. स. 18

25. महिला एवं बाल विकास विभाग (2017), "महिला एवं बाल विकास की योजनाएं" प्रचार पुस्तिका सैक्टर 34-ए चण्ड़ीगढ़ पृ. स. 2

26. वार्षिक रिर्पोट (2015-16), "महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा सरकार, पृ. स. 19

27. सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, रोहतक।

28. घरेलू हिंसा महिला सरक्षंण 2005 (2016), "हिंसा रहित घर, हर महिला का अधिकार, महिला एवं बाल विकास निदेशालय, पंचकुला हरियाणा पृ. स. 1-5

29. गौतम मोनिका (2018), "अनावरण कथा महिला सशक्तिकरण" हरियाणा संवाद, मार्च 2018, पृ. स. 6

30. महिला एवं बाल विकास विभाग (2017), "महिला एवं बाल विकास की योजनाएं" प्रचार पुस्तिका सैक्टर 34-ए चण्डीगढ़ पृ. स. 1-5

31. महिला एवं बाल विकास विभाग (2018), "महिला एवं बाल विकास की योजनाएं" प्रचार पुस्तिका सैक्टर 34-ए पंचकुला पृ. स. 2

32. कृष्णा ऋषभ (2016), "बालिका सशक्तिकरण हेतु योजनाओं का आंकलन" कुरूक्षेत्र पृ. स. 11.

Corresponding Author

Sonu*

Research Scholar, Department of Public Administration, Chaudhary Devi Lal University, Sirsa, Haryana

shivhooda13411@gmail.com